भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-288

जिसका उत्तर 28 **जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

आन्ध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना

***288. श्री वाई. एस. चौधरीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"आंध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 288 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूचा का विषय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है । तद्नुसार, राज्य के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत का प्रशुल्क भी उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रशुल्क निर्धारित करते समय उपयुक्त आयोग उपभोक्ताओं को वहन करने योग्य विद्युत उपलब्ध कराने सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है।

केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) से विद्युत का आबंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से आंध्र प्रदेश को आबंटन 1705 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 01 जुलाई, 2014 से 31 जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को इंदिरा गांधी एसटीपीएस, झज्जर से 177 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आबंटित की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2067

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

असम में विद्युत की कमी

2067. श्रीमती नाज़नीन फारुखः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम के लोग लम्बे समय से विद्युत कटौती का लगातार सामना कर रहे है और उन्हें प्रतिदिन मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में विद्युत समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विद्युत के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्य क्षेत्र में आता है। विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके तथा उन संयंत्रों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करके राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जून, 2014 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं को 8 घण्टे में ज्यादा आपूर्ति की गई।

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से असम को 727 मेगावाट की सहायता मिल रही थी। इसके अतिरिक्त, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने असम राज्य के अनुरोध पर 01.07.2014-31.10.2014 तक पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों से 42.32 मेगावाट विद्युत आबंटित की है।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम में अप्रैल से जून, 2014 के दौरान ऊर्जा की कमी 8.1% थी जबकि 2013 की अवधि के दौरान यह 10.7% थी।

राज्य को विद्युत समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित कदमों से सहायता मिलेगी :

(i) अतिरिक्त विद्युत:

(क) त्रिपुरा में पलटाना गैस आधारित विद्युत संयंत्र (जीबीपीपी) के चालू होने पर 240 मेगावाट विद्युत।

(ख) असम में एनटीपीसी के बोंगईगांव ताप विद्युत केंद्र से 381 मेगावाट विद्युत का और आबंटन।

(ग) इसके अतिरिक्त, लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना से 104 मेगावाट का आबंटन।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य आगामी जल विद्युत परियोजनाओं से आबंटन।

(ii) अतिरिक्त पारेषण अवसंरचनाः

(क) 400 केवी डी/सी पूर्णिया-बिहारशरीफ लाइन

(ख) पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विद्युत के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए पावर ग्रिड द्वारा 400 केवी डी/सी बोंगईगांव-सिलीगुड़ी लाइन तथा साथ ही साथ 400 केवी डी/सी राजरहाट-पूर्णिया पारेषण लाइन का निर्माण।

(ग) 400 केवी डी/सी मालदा-फरक्का लाइन का पुनः संवहन/सुदृढ़ीकरण।

(iii) पुनः गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत असम के लिए 840 करोड़ रूपए मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से लगभग 274 करोड़ रूपए वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं।

(iv) 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान, राज्यों को केंद्रीय क्षेत्र से 727 मेगावाट तथा राज्य क्षेत्र से 100 मेगावाट का संभावित लाभ होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2068

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

गोवा में भूमिगत केबल बिछाया जाना

2068. श्री शान्ताराम नायकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूमिगत विद्युत केबल/लाइन बिछाने के लिए गोवा सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक, वर्ष-वार, कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) राज्य के किन-किन क्षेत्रों में ऐसी केबल बिछाई गई हैं; और

(घ) केबल बिछाने की परियोजना का कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। भूमिगत विद्युत केबल/लाइनें बिछाने के लिए सरकार ने गोवा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) और (घ) : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2069

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी की परियोजनाएं

2069. श्री प्रमोद तिवारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी की संस्थापित क्षमता कितनी है और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) उस तिथि की स्थिति के अनुसार उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अपने पूरा होने के निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को, परियोजना-वार, किस तारीख तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार इसकी सहायक कंपनी (एनएचडीसी परियोजना) सहित एचएचपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 5927 मेगावाट है । प्रचालनाधीन विद्युत स्टेशनों और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

<u>चालू परियोजनाएं</u>

क्र.सं.	**विद्युत स्टेशन (राज्य)**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**डिजाइन ऊर्जा (मेगा यूनिट में)**
1	बैरासियूल (हिमाचल प्रदेश)	180 (3x60)	779
2	लोकटक (मणिपुर)	105 (3x35)	448
3	सलाल-I/II (जम्मू एवं कश्मीर)	690 (6x115)	3082
क्र.सं.	**विद्युत स्टेशन (राज्य)**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**डिजाइन ऊर्जा (मेगा यूनिट में)**
4	टनकपुर (उत्तराखण्ड)	120 (3x40)	452

5	चमेरा-I (हिमाचल प्रदेश)	540 (3x180)	1665
6	उरी (जम्मू एवं कश्मीर)	480 (4x120)	2587
7	रंगित (सिक्किम)	60 (3x20)	339
8	चमेरा-II (हिमाचल प्रदेश)	300 (3x100)	1500
9	धौलीगंगा-I (उत्तराखण्ड)	280 (4x70)	1135
10	दुलहस्ती (जम्मू एवं कश्मीर)	390 (3x130)	1907
11	तीस्ता-V (सिक्किम)	510 (3x170)	2573
12	सेवा-II (जम्मू एवं कश्मीर)	120 (3x40)	534
13	चमेरा-III (हिमाचल प्रदेश)	231 (3x77)	1086
14	चुटक (जम्मू एवं कश्मीर)	44 (4x11)	213
15	टीएलडीपी-III (पश्चिम बंगाल)	132 (4x33)	594
16	निम्मो बाजगो (जम्मू एवं कश्मीर)	45 (3x15)	239
17	उरी-II (जम्मू एवं कश्मीर) #	180 (3x60)	1124
कुल		**4407**	
एनएचडीसी-मध्य प्रदेश सरकार के साथ एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम			
18	इंदिरा सागर (मध्य प्रदेश)	1000 (8x125)	1847
19	ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश)	520 (8x65)	865
सकल योग		**5927**	

यूनिट-I एवं 2 सितम्बर, 2013 में शुरू की गई तथा यूनिट-III नवम्बर, 2013 में शुरू की गई ।

(ख) एवं (ग) 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार 3870 मेगावाट की कुल क्षमता की 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन थी । इन विद्युत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**परियोजना / राज्य का नाम**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**डिजाइन ऊर्जा (मेगा यूनिट में)**	**पूर्ण होने की सीसीईए तिथि**	**पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि**
1	उरी-II जम्मू एवं कश्मीर	60 (1x60)	1124	नवम्बर, 2009	अंतिम इकाई फरवरी, 2014 में शुरू की गई
2	पारबती-III हिमाचल प्रदेश	520 (4x130)	1963/701*	नवम्बर, 2010	सभी इकाइयां मई, 2014 तक शुरू की गई
3	पारबती-II हिमाचल प्रदेश	800 (4x200)	3108	सितम्बर, 2009	जुलाई, 2018

क्र.सं.	**परियोजना / राज्य का नाम**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**डिजाइन ऊर्जा (मेगा यूनिट में)**	**पूर्ण होने की सीसीईए तिथि**	**पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि**

4	किशनगंगा जम्मू एवं कश्मीर	330 (3x110)	1350	जनवरी, 2016	नवम्बर, 2016
5	तीस्ता एलडीपी-IV पश्चिम बंगाल	160 (4x40)	720	सितम्बर, 2009	मार्च, 2016
6	सुबानसिरी लोअर, असम / अरुणाचल प्रदेश	2000 (8x250)	7422	सितम्बर, 2010	--- **
कुल		**3870 (मेगावाट)**			

* पारबती-II एचईपी परियोजना के शुरू होने तक अकेले आधार पर विचार करते हुए पारबती-III एचईपी के संबंध में डिजाइन ऊर्जा 701 एमयू ली गई है ।

** बांध की सुरक्षा और इसके डाउनस्ट्रीम प्रभाव के मुद्दे उठाते हुए सुबानसिरी लोअर एचईपी परियोजना के निर्माण के विरोध में असम में विभिन्न आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन शुरू करने के कारण 16.12.2011 से कार्य रूका हुआ है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2070

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स)
द्वारा सीएजी का सहयोग नहीं किया जाना

2070. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तीन विद्युत वितरण कंपनियां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को सहयोग नहीं दे रही हैं और वे सीएजी द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं;

(ख) यदि हां,तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और सूचना देने के लिए उन्हें बाध्य किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) विद्युत का वितरण एक लाइसेंसी कार्य है । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को विद्युत का विवरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देने की शक्ति है, अतः राज्यों में वितरण कंपनियां लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए संबंधित एसईआरसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं । विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यकरण में केन्द्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुसार लेखापरीक्षा दलों द्वारा की गई विभिन्न अपेक्षाओं हेतु रिकार्ड और सूचना प्रस्तुत करने में डिस्कामों द्वारा विलम्ब हुआ है । जीएनसीटीडी ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पत्राचार और बैठकों के माध्यम से हस्तक्षेप किया है और समयबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा दलों को सूचना देने के लिए वितरण कंपनियों को निदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डिस्कामों की सीएजी लेखा परीक्षा के मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही हे और प्रभावी रूप से सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांक 24 मार्च, 2014 के आदेश में डिस्कामों को सीएजी के साथ पूरी तरह से सहयोग करते रहने का निदेश दिया गया था । सरकार के नामित निदेशकों ने भी डिस्कामों की बोर्ड बैठकों में लेखापरीक्षा में पूरी तरह सहयोग करने पर जोर दिया है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2071

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली

2071. श्री बी.के. हरिप्रसादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अति विशाल विद्युत परियोजनाओं हेतु बोली मानदंडों से संबंधित मुद्दों में स्पष्टता न होने के कारण तमिलनाडु और ओडिशा की दो अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत कंपनियां भाग नहीं ले रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने अति विशाल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिकल्प निर्माण वित्त परिचालन अंतरण (डीबीएफओटी) मॉडल का पूर्व में ऐसा विकल्प चुना था जिसमें विकास-कर्ताओं को ईंधन की लागत में होने वाली किसी बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति तो है लेकिन वे उपस्करों को घरेलू बाजार से ही लेने के लिए बाध्य भी होते हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत उत्पादकों और वित्तीय संस्थानों ने डीबीएफओटी मॉडल को अव्यवहार्य पाया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पांच अर्हक बोलीदाताओं में से प्रत्येक बोलीदाता ने ओडिशा यूएमपीपी और चेय्यूर यूएमपीपी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का क्रय किया है । चेय्यूर यूएमपीपी के मामले में चार बोलीदाता निजी क्षेत्र से हैं और ओडिशा यूएमपीपी के मामले में तीन बोलीदाता निजी क्षेत्र से हैं ।

(ख) जी नहीं, पिछली भारत सरकार ने पहले की यूएमपीपी अवार्ड करने के लिए निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) आधार के विकल्प का चयन किया था । अब, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज अधिसूचित किए हैं । डीबीएफओटी आधार के अंतर्गत, विकासकर्ताओं को उपभोक्ताओं को ईंधन लागत में किसी वृद्धि को पास करने की अनुमति दी गई है । यूएमपीपी के लिए उपस्कर मंगाने के संबंध में, पूर्व के दस्तावेज में इस प्रकार का कोई अनुबंध नहीं था ।

(ग) मॉडल बोली दस्तावेज मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन से अंतरमंत्रालयी समूह द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), विकासकर्ताओं, व्यावसायियों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं, वितरण कंपनियों, राज्यों सहित विद्युत क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों के परामर्श से संशोधित किए गए हैं ।

इस मॉडल के संबंध में राज्यों और मंत्रालयों/योजना आयोग के बीच स्पष्ट सर्वसम्मति थी । तथापि, कुछ निजी विकासकर्ताओं, देनदारों और सीईआरसी सहित कुछ पणधारियों ने इस संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त कीं थीं ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2072

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के
अंतर्गत दी गई बिजली की सुविधा

2072. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत देश में कितने गरीबों को वर्ष 2013-14 के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दिए गये;

(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान इसके लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) गुजरात राज्य में आज तक कुल कितने बिजली कनेक्शन दिए गये हैं और अब कितने कनेक्शन दिये जाने हैं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): वर्ष 2013-14 के दौरान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत देश में 9.62 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

(ख): आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी की गई 2373.05 करोड़ रूपए की कुल पूंजीगत सब्सिडी में से 260.82 करोड़ रूपए की राशि बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए जारी की गई है।

(ग): 10वीं और 11वीं योजना के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 8,41,219 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने सहित गुजरात राज्य के लिए 25 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। सभी बीपीएल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2073

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी द्वारा तलवाड़ा में खाली मकानों की नीलामी

2073. श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पंजाब की तलवाड़ा टाउनशिप में कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान/फ्लैट बनाए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मकानों/फ्लैटों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) वर्तमान में कितने मकान/फ्लैट खाली पड़े हैं;

(घ) क्या स्थानीय लोग और सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि अनुमति दी जाए तो इन मकानों को खुली नीलामी में बाजार मूल्य पर खरीदने के इच्छुक हैं; और

(ङ) यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि सरकार इस तरह की नीलामी के पक्ष में नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ, ब्यास बांध परियोजना तलवाड़ा के निर्माण के समय उससे संबंधित कामगरों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आवास प्रदान करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा वर्ष 1962-1965 के दौरान विभिन्न टाइप के लगभग 3902 स्थायी घरों का निर्माण किया गया था। इन घरों/फ्लेटों के निर्माण पर 267.60 लाख रूपए की राशि खर्च की गई थी।

(ग): वर्तमान में, लगभग 678 घर खाली पड़े हैं।

(घ) से (ङ): शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वर्तमान नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग को सरकार अथवा सरकार नियंत्रित सांविधिक प्राधिकरणों से संबंधित भूमि की बिक्री अथवा दीर्घकालीन पट्टे के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल का विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। बीबीएमबी से ऐसे घरों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2074

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी द्वारा भूमि का आवंटन

2074. श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने तलवाड़ा नांगल टाउनशिप में मन्दिर, गुरुद्वारे, इत्यादि के लिए भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने संगठनों तथा सोसाइटियों को भूमि आबंटित की गई है और कब से की गई है और इनके निबंधन और शर्तें क्या-क्या है;

(ग) क्या तलवाड़ा की गौशाला समिति ने भुगतान पर भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया है और क्या सरकार उन्हें भूमि का आवंटन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन-किन शर्तों पर?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) जी, हां । संबंधित परियोजनाओं के निर्माण के समय नांगल में तत्कालीन भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और तलवाड़ा में ब्यास निर्माण बोर्ड (बीसीबी) द्वारा पट्टा आधार पर कुछ धार्मिक निकायों जैसे मंदिरों, गुरूद्वारों एवं चर्चों को भूमि आवंटित की गई थी । कुछ धार्मिक निकायों द्वारा अतिक्रमण की गई अतिरिक्त भूमि को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दोनों स्थानों अर्थात् नांगल और तलवाड़ा में नियमित किया गया था। उन धार्मिक निकायों जिन्हें भूमि आवंटित/नियमित की गई थी, का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है ।

(ग) और (घ) गौ संरक्षण सभा, तलवाड़ा टाउनशिप ने तलवाड़ा में गौशाला के लिए बीबीएमबी की भूमि का अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था । सभा ने गौशाला के उद्देश्य से इस अतिक्रमण की गई भूमि के आवंटन हेतु बीबीएमबी से अनुरोध किया था ।

बीबीएमबी ने सूचित किया है कि अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने के लिए उक्त गौ संरक्षण सभा के खिलाफ बेदखल करने की प्रक्रिया संपदा अधिकारी न्यायालय, बीबीएमबी, तलवाड़ा टाउनशिप के कार्यालय में लंबित है । अगली सुनवाई 31.07.2014 को निर्धारित की गई है ।

****

अनुबंध

बीबीएमबी द्वारा भूमि का आवंटन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-2074 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

(क) ब्यास निर्माण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.05.1968 के पत्र संख्या 2334-38/बीपी-118 के तहत तलवाड़ा टाउनशिप में आवंटित की गई भूमिः

क्र.सं.	संस्थानों के नाम
1	सेक्टर 4-सी में बाल्मिकी मंदिर
2	सेक्टर 1-बी में चर्च
3	सेक्टर 2-सी में गुरूद्वारा
4	सेक्टर 2-डी में सनातन धर्म मंदिर
5	सेक्टर 3-सी में आर्य समाज मंदिर
6	सेक्टर 3-डी में गुरू रवि दास मंदिर

(ख) नांगल टाउनशिप में तत्कालीन भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा आवंटित भूमि और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दिनांक 19.11.1993 के पत्र संख्या 37854-56/बी-220/53/4-आईआरआर के तहत नियमित की गई भूमिः

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	कब्जेवाली भूमि (वर्गफुट में)
1	डीडी ब्लॉक के पीछे मेन मार्केट में गुरू सिंह सभा	16117
2	मेन मार्केट में शिव मंदिर (सनातन धर्म सभा द्वारा प्रबंध)	21946
3	पोहलू राम सराय में सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर	24155
4	एच-ब्लॉक के निकट बाल्मिकी मंदिर	12460
5	फैरी घाट के निकट गुरूद्वारा बड़ा साहिब	36000 (लगभग)
6	ईई-ब्लॉक के साथ मवेशी तालाब के निकट डेरा	19500 (लगभग)
7	सतलुज सदन के निकट नव दुर्गा मंदिर	38500 (लगभग)
8	आई.टी.आई. के सामने मंदिर भोला नाथ	3000

(ग) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक 17.07.2000 के पत्र संख्या 11164-66/बी-2045/5-4-आईआरआर के तहत तलवाड़ा टाउनशिप में आवंटित राशिः

क्र.सं.	धार्मिक निकाय का नाम	कब्जेवाली भूमि (वर्गफुट में)
1	गुरूद्वारा सिंह सभा, सेक्टर-2	154629
2	सनातन धर्म सभा, सेक्टर-2	186906
3	आर्य समाज मंदिर, सेक्टर-3	9285

4	गुरू रवि दास मदिर सभा, सेक्टर-3	49460
5	बाल्मिकी सभा, सेक्टर-4	45380
6	विश्वकर्मा मंदिर सभा, सेक्टर-1	39812
7	पंज पीर नाग देवता मंदिर, सेक्टर-1	41989
8	पंज पीर दाता, सेक्टर-3	3306
9	बाबा बालकनाथ मंदिर, सेक्टर-4	20000
10	शिव मंदिर, झुग्गी कॉलोनी	1000

****